मध्यप्रदेश की सूचना प्रौद्योगिकी नीति

1. दृष्टि- सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राज्य की विहंगम दृष्टि को निम्नानुसार संक्षेप में कहा जा सकता है। मध्यप्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्नानुसार लक्ष्य प्राप्ति के लिए करेगा :

a. ई-शासन की क्षमताओं का उपयोग कर आम नागरिकों के जीवन-स्तर को सुधारेगा।
b. इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करेगा जिसके माध्यम से शिक्षित युवा रोजगार प्राप्त कर राज्य के विकास में भागीदार बनेंगे।
c. प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अति दक्ष विशेषज्ञों को पर्याप्त संख्या में तैयार करेगा जो देश के उत्कृष्टतम के बराबर हो।
d. संसाधन आधारित अर्थव्यवस्था को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करेगा।

2. पृष्ठ भूमि :- सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं को देखते हुए राज्य ने वर्ष 1999 में ही सूचना प्रौद्योगिकी नीति बना ली थी। इस नीति के साथ प्रदेश ने 21वीं सदी में प्रवेश किया। नीति को बने हुए लगभग 6 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं एवं इसकी समीक्षा करना आवश्यक हो गया है।

3. 1999 की सूचना प्रौद्योगिकी नीति की मुख्य विशेषतायें- मध्यप्रदेश शासन ने प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए एक कार्यदल का गठन किया था। इस कार्य दल द्वारा अनुशंसित नीति का केन्द्रीय पहलू राज्य शासन को अन्दर एवं बाहर से इस तरह परिवर्तित करना था कि संधिहीन समाज का निर्माण हो सकेगा जिसमें वैश्विक अवसर उपलब्ध हों। नीति की रूपरेखा निम्नानुसार है :

a. राज्य सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई गतिविधियों में 4.00 लाख से 10.00 लाख की संख्या में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने का लक्ष्य रखेगा।
b. उचित मूल्य पर सभी नागरिकों की सूचना तक पहुंच को सुनिश्चित करेगा। सभी उच्चतर माध्यमिक शालाओं एवं महाविद्यालयों में वर्ष 2003 तक सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता प्राप्त हो जाएगी एवं सभी शालाओं में वर्ष 2008 तक यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।
c. प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रारंभिक दौर के विकास में शासन के विभागों का कम्प्यूटरीकरण योगदान देगा।
d. राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के उत्पादन का 10 प्रतिशत वर्ष 2003 तक प्राप्त कर लिया जाएगा एवं वर्ष 2008 में 42000 करोड़ रुपये के उत्पादन का लक्ष्य रखा जाएगा जिसके लिए इस क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश की मात्रा लगभग 4500 करोड़ रुपये होगी।

e. यदि राज्य को राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादन का 10 प्रतिशत का लक्ष्य रखना है तो राज्य के सकल उत्पादन में इस क्षेत्र का योगदान एक तिहाई हो जाएगा।

4. सूचना प्रौद्योगिकी नीति 1999 का विश्लेषण:

a. जिन क्षेत्रों में लक्ष्य प्राप्ति में सफलता मिली :

i. दूरसंचार अधोसंरचना का पर्याप्त विकास हुआ।

ii. सूचना प्रौद्योगिकी एवं कम्प्यूटर साइंस के क्षेत्र में स्नातक इंजीनियर पर्याप्त मात्रा में शिक्षित हुए।

iii. शासकीय कार्यालयों में कम्प्यूटर के उपयोग को बढ़ावा मिला।

iv. कुछ चुने हुए सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का सफल क्रियान्वयन हुआ जैसे स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राईविंग लायसेंस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र, मंडियों का कम्प्यूटरीकरण, कोषालयों एवं वाणिज्यिक कर कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण।

b. जिन क्षेत्रों में लक्ष्य प्राप्त नहीं हुये :

i. सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को राज्य आकर्षित नहीं कर सका।

ii. चार मुख्य कम्प्यूटरीकरण कोषालय, वाणिज्यिक कर, परिवहन एवं मंडी कम्प्यूटरीकरण को छोड़कर अन्य प्रमुख विभागों में कम्प्यूटरीकरण को बढ़ावा नहीं मिला।

iii. सामूहिक अधोसंरचनायें जैसे स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क, डाटा सेन्टर एवं इन्टर आपरेबल मापदण्ड का विकास नहीं हो सका।

iv. ज्ञानदूत जैसी पहल के बाद भी राज्य शासन की सेवायें ई-गवर्नेंस के माध्यम से आम नागरिकों तक नहीं पहुंच सकीं।

v. राज्य के वित्तीय आवंटन में ई-गवर्नेंस को प्राथमिकता प्राप्त नहीं हुई।

vi. इस क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार की संभावनाओं एवं राजस्व में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई।

5. वर्ष 2006 से 2016 तक के लिए प्रस्ताव- राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी की नींव निम्नानुसार चार स्तंभों पर आधारित होगी :

a. ई-गवर्नेंस : बढ़ती हुई साक्षरता के साथ नागरिक राज्य शासन से बेहतर सेवायें, न्यूनतम समय में, इच्छित स्थान पर पारदर्शी तरीके से भेद-भाव के बगैर चाहते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी :

i. वेबसाइट एवं उसमें उपलब्ध जानकारी : कुछ चुनिन्दा वेब-साइटों को छोड़कर राज्य की सभी वेब-साइट्स अंग्रेजी में बनाई गई हैं। हिन्दी में जो कुछ वेब-साइट उपलब्ध हैं उन सभी में फॉन्ट की समस्या है। राज्य के नागरिकों को जिस तरह से सूचना की अपेक्षा है उसको ध्यान में रखकर वेबसाइट नहीं बनाई गई है। अतः 'राज्य की सभी वेब-साइटों को अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों भाषाओं में, यूनिकोड फॉन्ट में नागरिकों की अपेक्षा अनुसार तैयार किया जाएगा'। विभाग निम्नानुसार कार्रवाई करेंगे :

1. नीति के लागू होने के एक माह में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सभी वेब-साइटों के लिए एक कॉमन टेम्पलेट तैयार करेगा।

2. इस टेम्पलेट का उपयोग कर एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सुझाव अनुसार विभाग अंग्रेजी एवं हिन्दी में वेब-साइट तैयार करेंगे जिसमें आम नागरिकों की आवश्यकता अनुसार जानकारी रखी जाएगी। प्रत्येक विभाग वेब-साइट के रख-रखाव एवं अपडेशन के लिए वेबमास्टर की नियुक्ति करेंगे।

3. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति इस क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा 6 माह में करेगी।

ii. ई-गवर्नेंस परियोजनायें : राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजना के तहत केन्द्र शासन राज्य की 10 मिशनमोड प्रोजेक्ट को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है जिससे निम्नानुसार विभाग लाभान्वित होंगे : भू-अभिलेख, परिवहन, पुलिस, कोषालय, संपत्ति पंजीयन, रोजगार कार्यालय, कृषि, स्थानीय शासन, ग्राम पंचायत एवं वाणिज्यिक कर। इन विभागों को छोड़कर शेष विभागों में राज्य के स्वयं के वित्तीय साधनों से कम्प्यूटराईजेशन के लिए वित्त की व्यवस्था करना होगी। ई-गवर्नेंस की परियोजनाओं का वित्तीय पोषण निम्नानुसार किया जाएगा :

1. ई-गवर्नेंस परियोजनाओं का क्रियान्वयन लंबे समयकाल (10 से 15 वर्ष) के लिए किया जाएगा। उत्कृष्ट सी.एम.एम. (केपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल) लेवल-5 कंपनियां एवं प्रदेश के एमपेनल्ड वेण्डर का संयुक्त उपक्रम परियोजनाओं के लिए निविदा प्रस्तुत करेंगे। मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम एवं मैप आई.टी. वेण्डरों का एमपेनलमेंट मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदन उपरान्त करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग रिक्वेस्ट फॉर प्रोपोजल तैयार करने के लिए कंसलटेंट की सेवायें उपलब्ध करायेगा। संबंधित विभाग पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सिस्टम इंटीग्रेटर की नियुक्ति करेगा जो हार्डवेयर, साफ्टवेयर, प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध करायेगा एवं रख-रखाव करेगा।

a. ऐसी परियोजनायें जहां उपयोग शुल्क लगाया जा सकता है पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के सिद्धान्तों पर आधारित होंगी। वन विभाग के उत्पादन वन मण्डलों का कम्प्यूटरीकरण एवं कलेक्टर कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण इसके उदाहरण हैं।

b. ऐसे विभागों के कम्प्यूटरीकरण के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाएंगे जो परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। प्रस्ताव में व्यवस्थाओं, प्रक्रियाओं एवं क्रियाओं में सुधार की व्यवस्था आवश्यक रूप से होना चाहिए।

2. कुछ विभागों को बाहरी साधनों से परियोजना क्रियान्वयन के लिए राशि प्राप्त हो सकती है जिसमें विश्व बैंक तथा केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालय शामिल हैं। विभाग इन साधनों से कम्प्यूटरीकरण के लिए राशि प्राप्त करने के प्रयास करेंगे।
3. विभाग लायसेंस युक्त साफ्टवेयर के उपयोग को बढ़ावा देंगे तथा अवैधानिक साफ्टवेयर के उपयोग को सक्रिय रूप से रोकेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग प्रमुख साफ्टवेयर कंपनियों के साथ साफ्टवेयर क्रय के लिए अनुबंध करेगा जिससे न्यूनतम दर पर साफ्टवेयर क्रय किया जा सके।
4. सभी विभाग पूर्ण कम्प्यूटरीकरण के लिए वित्तीय साधन चिन्हित करने की कार्यवाही नीति लागू होने के एक माह में कर लेंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च अधिकार समिति प्रगति की समीक्षा करेगी।
5. सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं की निविदाओं का मूल्यांकन दो स्तरीय मूल्यांकन पद्धति से किया जाएगा। प्रथम चरण में योग्यता का मूल्यांकन किया जाएगा जिसमें निविदाकार कंपनी की क्षमताओं का आकलन किया जाएगा। बोली के प्रस्ताव उन्हीं कंपनियों के खोले जाएंगे जो प्रथम चरण में अनुमोदित की जाती हैं।

b. सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों को आकर्षित करना: देश के महानगरों जैसे- बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई एवं दिल्ली में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का विकास हुआ। अधोसंरचना संबंधी समस्याओं के कारण देश के अन्य नगरों जैसे पुणे, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, नागपुर आदि में इस उद्योग का विकास हो रहा है। इसका एक कारण इन नगरों में निवास करने का मूल्य कम है। प्रदेश इस परिवर्तन का लाभ उठा सकता है एवं इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर जैसे शहरों में निवेश को बढ़ावा दे सकता है। इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य निम्नानुसार कार्यवाही करेगा :

i. साफ्टवेयर विजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बी.पी.ओ.), इन्फरमेशन टेक्नालॉजी इनेब्ल्ड सर्विस (आई.टी.ई.एस.) एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर (जैसा उद्योग विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 16-8-ग्यारह-डी.-99 दिनांक 28.1.2000 में वर्णित है) सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की परिभाषा में शामिल होंगे।
ii. इन चारों शहरों के हवाई अड्डों के पास बड़े भूखण्डों को साफ्टवेयर टेक्नालाजी निवेश क्षेत्र के निर्माण के लिए आरक्षित किया जाएगा। इन पार्कों में अस्पताल, शॉपिंग माल, खान-पान क्षेत्र, आवासीय सुविधायें, पांच

सितारा होटल अन्य मनोरंजन सुविधायें भी बनाने की अनुमति दी जाएगी। इस कार्य के लिए चिन्हित भूमि को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुमति के बगैर किसी अन्य कार्य के लिए आवंटित नहीं किया जाएगा।

iii. राज्य शासन अथवा उसकी एजेंसी सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र के निर्माण का कार्य स्वयं नहीं करेगी। उपयुक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास एजेंसी को इस कार्य के लिए पारदर्शी प्रक्रिया का पालन कर चिन्हित किया जाएगा। चिन्हित एजेंसी सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र का विकास, विपणन एवं प्रबंधन करेगी। राज्य अथवा उसकी एजेंसी इस कार्य को आगे बढ़ाने में मदद करेगी तथा यदि आवश्यक हुआ तो स्पेशल परपस व्हीकल में अल्पांश भागीदार होगी।

iv. मध्यप्रदेश शासन द्वारा इस क्षेत्र में होने वाले निवेशों के लिए छूट/प्रोत्साहन देगी :

1. राज्य की औद्योगिक नीति के तहत प्राप्त समस्त छूट/सुविधायें सूचना प्रौद्योगिकी के निवेश जो राज्य शासन द्वारा आवंटित भूमि अथवा निजी भूमि पर स्थापित होते हैं प्राप्त होंगी। एकल खिड़की प्रणाली से सभी अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाएंगे एवं शासकीय औपचारिकतायें की पूर्ति की जाएगी।
2. सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा गुणवत्ता सर्टिफिकेशन जैसे केपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल (सी.एम.एम./सी.एम.एम.आई.) एवं पीपल्स केपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल (पी.सी.एम.एम.) के लेवल-3 एवं उससे अधिक प्राप्त करने पर राज्य सरकार सर्टिफिकेशन के बाद सर्टिफिकेशन के लिए व्यय राशि के 30 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करेगी। शर्त यह होगी कि आवेदक कंपनी 100 से अधिक व्यक्तियों को मध्यप्रदेश में रोजगार उपलब्ध करा रही हो। प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा 4.00 लाख रुपये होगी एवं यह प्रत्येक आवेदक कंपनी को एक बार ही देय होगा।
3. सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र के समूचे क्षेत्रफल में वर्तमान फ्लोर एरिया रेगुलेशन दोगुना तक की छूट प्राप्त होगी।
4. बैंकों वित्तीय संस्थाओं में गिरवी रखने पर लगने वाली स्टेम्प ड्यूटी से छूट प्राप्त होगी। शर्त यह होगी कि ऐसी नई इकाई को समुचित एजेंसी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी इकाई घोषित किया गया हो।
5. सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में वित्तीय संस्थानों/शासकीय एजेंसियों/निजी क्षेत्र द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों को विक्रय/लीज पर देय स्टेम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क से छूट इस शर्त पर प्राप्त होगी कि ऐसी नई इकाई को समुचित एजेंसी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी इकाई घोषित किया गया हो।

6. सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के निवेश पर संपत्ति कर की दर रहवासी क्षेत्र के बराबर होगी।

7. कैपटिव पावर प्लांट लगाने के लिए किसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

8. प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के निवेश को आकर्षित करने के लिए भूमि के मूल्य में छूट देना एक मुख्य प्रोत्साहन है। सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र के निर्माण के लिए आवंटित भूमि के मूल्य पर निम्नानुसार छूट प्राप्त हो सकेगी :

a. **छूट** केवल शासकीय भूमि, विकास प्राधिकरणों एवं शासकीय निगमों की भूमि के आवंटन पर ही लागू होगी।

b. **कंपनी** द्वारा दिये गये रोजगार की संख्या को रुपये 25,000 की दर से गणना करते हुए छूट की राशि सीमित की जाएगी।

c. **आवेदक** कंपनी द्वारा 100 व्यक्तियों को रोजगार दिये जाने पर ही छूट की पात्रता होगी।

d. **कंपनी** को न्यूनतम 2 वर्ष तक कार्य करना अनिवार्य होगा।

e. **500** से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने पर भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। इसका निर्धारण नीति के क्रियान्वयन की निगरानी रखने के लिए गठित मंत्रिपरिषद् समिति द्वारा किया जाएगा।

f. **भूमि** 33 वर्ष की लीज पर दी जाएगी तथा इसके नवीनीकरण का प्रावधान होगा। इस तरह आवंटित भूमि का न्यूनतम 60 प्रतिशत हिस्सा सूचना प्रौद्योगिकी के निवेश के लिए उपयोग में लाया जाएगा शेष 40 प्रतिशत का उपयोग अन्य सहायक गतिविधियों के लिए किया जा सकेगा। इस तरह विकसित क्षेत्र में प्रति एकड़ न्यूनतम 350 व्यक्तियों को रोजगार देने की क्षमता होना चाहिए।

9. सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को विद्युत की आपूर्ति एक डेडीकेटेड फीडर के माध्यम से की जाएगी।

10. फेक्टरीज एक्ट, मेटरनिटी एक्ट, कान्ट्रेक्ट लेबर एक्ट, मिनिमम वेज़ेस एक्ट, पेमेन्ट ऑफ वेज़ेस एक्ट एवं ई.एस.आई. एक्ट से छूट प्राप्त होगी।

11. एन्ट्री टैक्स, इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी टैक्स एवं वर्क कान्ट्रेक्ट टैक्स से छूट प्राप्त होगी।

12. सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में निवेश करने वाली सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों को ऑक्ट्राय, प्रवेश कर एवं स्थानीय शासन कर से कच्चे माल एवं केपीटल गुड्स के क्रय पर छूट प्राप्त होगी।

13. सूचना प्रौद्योगिकी इकाई के प्रारंभ होने से पांच वर्षों तक छूट की सुविधा प्राप्त होगी।

14. प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी की इकाईयों को केन्द्र शासन के प्रावधानों के तहत स्पेशल इकोनामिक जोन की सुविधायें प्राप्त करने का अधिकार होगा।

15. प्रदेश की ई-गवर्नेंस परियोजनाओं में आमंत्रित निविदाओं में प्रदेश में कार्यरत 250 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाली कंपनियों को द्विस्तरीय निविदा मूल्यांकन पद्धति में प्री क्वालीफिकेशन स्तर पर क्वालिटी के लिए 10 अंक की प्राथमिकता दी जाएगी।

c. सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शिक्षा- कम्प्यूटर साइंस एवं आई.टी. के क्षेत्र में प्रदेश में बड़ी संख्या में स्नातक इंजीनियर तैयार हो रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में 60 से अधिक इंजीनियरिंग कालेज हैं ये स्नातक उद्योग की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहे हैं एवं इनकी निपुणता में सुधार की आवश्यकता है। इसी तरह वर्तमान शासकीय स्कूल व्यवस्था से ऐसा मानव संसाधन तैयार नहीं हो रहा है जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एवं इन्फरमेशन टेक्नालाजी इनेबल्ड सर्विसेस क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। नेसकॉम ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रसिद्ध कंसलटेंट के.पी.एम.जी. ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें देश में इस क्षेत्र में 21 लाख प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी का आकलन किया है। प्रदेश के छात्रों को इस क्षेत्र में तैयार करने के लिए निम्नानुसार उपाय किए जाएंगेः

i. **500** शासकीय हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल चयनित किए जाएंगे जहां आधुनिक कम्प्यूटर हार्डवेयर साफ्टवेयर उपलब्ध कराया जाएगा साथ ही इन्टरनेट कनेक्टीविटी भी उपलब्ध कराई जाएगी। इन स्कूलों में बी.पी.ओ./आई.टी.ई.एस. क्षेत्र के अनुकूल छात्रों को तैयार किया जाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्कूलों में पढ़ाये जाने वाले कोर्स मटेरियल स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, अन्य संबंधित विभाग एवं अन्य हितबद्ध समूहों से चर्चा कर तैयार किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग इन स्कूलों में कम्प्यूटर एवं टेक्नालॉजी शिक्षा को बढ़ावा देगा।

ii. **शासकीय** महाविद्यालयों एवं सभी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में तैयार हो रहे स्नातकों को इस क्षेत्र में रोजगार के अनुकूल बनाने के लिए सभी शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं चयनित शासकीय महाविद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। राज्य उत्कृष्ट कंपनियों को इन केन्द्रों में टेक्नालॉजी शिक्षा एवं प्रमाणीकरण के लिए सहयोग करने का आग्रह करेगा।

iii. **स्कूल** शिक्षा में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।

iv. **भोपाल** में एक सेन्टर फॉर ई-गवर्नेंस बनाया जाएगा जहां इंजीनियरिंग स्नातकों को सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं विशेष तौर पर ई-गवर्नेंस परियोजनाओं पर कार्य करने का अनुभव प्रदान किया जाएगा। ये सेन्टर प्रोप्राईटरी एवं ओपन सोर्स तकनीकों पर आधारित होंगे। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग नीति लागू होने के 6 माह के अन्दर इस कार्य के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करेगा तथा इसमें इस क्षेत्र के विशेषज्ञ अपनी सेवायें देंगे।

d. सामूहिक अधोसंरचना- राज्य सभी विभागों के समान उपयोग के लिए स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क, जी.आई.एस. आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंध व्यवस्था : डेटा सेन्टर एवं डिजास्टर रिकवरी डेटा सेन्टर तथा इन्टर आपरेबिलिटी स्टेण्डर्ड का विकास करेगा। इसके लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगीः-

i. **स्टेट** वाईड एरिया नेटवर्क भारत शासन द्वारा उपलब्ध राशि से जून-2006 तक पूर्ण रूप से चालू होने की संभावना है। राज्य में कुछ विभागों द्वारा अपने नेटवर्क बनाए गए हैं वे इस व्यवस्था के चालू होने के बाद अपने नेटवर्क बंद कर स्वान का उपयोग करेंगे।

ii. **जी.आई.एस.** आधारित प्राकृतिक प्रबंध व्यवस्थाः नक्शों का उपयोग करने वाले विभाग तथा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करने वाले विभागों के लिए मैप आई.टी. में एक उत्कृष्ट जी.आई.एस. लैब तैयार की जाएगी जिसमें विभागों से प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी लगाये जाएंगे। भविष्य में विभाग पृथक से जी.आई.एस. पर कोई व्यय नहीं करेंगे तथा वेब-इनेबल्ड इस व्यवस्था का उपयोग करेंगे। इस व्यवस्था के रख-रखाव के लिए विभाग को बजट उपलब्ध कराया जाएगा।

iii. **डेटा** सेन्टर एवं डिजास्टर रिकवरी के लिए विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं से राशि उपलब्ध कराई जाएगी जिसका उपयोग कर भोपाल में डेटा सेन्टर तथा ग्वालियर में डिजास्टर रिकवरी सेन्टर बनाया जाएगा। मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम इसका क्रियान्वयन करेगा।

iv. **मैप** आई.टी. सभी विभागों मध्य डेटा आवेदन-प्रदान के लिए इन्टर आपरेबिलिटी स्टेण्डर्ड तैयार करेगा। इसका विभाग अनिवार्यतः पालन करेंगे।

e. प्रशासनिक उपाय- सूचना प्रौद्योगिकी नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए एक मंत्रि-परिषद् समिति बनाई जाएगी। उपरोक्त कार्य के निष्पादन के लिए मंत्रि-परिषद् समिति स्वयं के नियम एवं प्रक्रियाएं बनाएगी। समिति हर 3 महीने में बैठक का आयोजन करेगी।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2006

क्र. एफ-1-1-2004-56-संशोधन- मध्यप्रदेश के राजपत्र दिनांक 25 अप्रैल 2006 में सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2006 के हिन्दी अनुवाद में कण्डिका **5.b.iii** के पश्चात् कण्डिका **5.b.iv** को निम्नानुसार पढ़ा जाये:-

5.b.iv सूचना प्रौद्योगिकी पार्क के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम की व्यवस्थाओं के तहत राज्य शासन बड़े साफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क के निर्माण के लिए निजी भूमि अधिग्रहण को बढ़ावा देगा. इस भूमि का उपयोग विधिवत चयनित प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र की सूचना प्रौद्योगिकी पार्क का विकास करने वाली अनुभवी कम्पनियों द्वारा किया जाएगा.

एवं कण्डिका **5.b.iv** के पश्चात् कण्डिका **5.b.v** को निम्नानुसार स्थापित किया जाये:-

5.b.v मध्यप्रदेश शासन द्वारा इस क्षेत्र में होने वाले निवेशों के लिए निम्नानुसार छूट/प्रोत्साहन देगी:-

अनुराग श्रीवास्तव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश शासन
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

:: संशोधन ::

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर, 2006

क्रमांक एफ 1-1/2004/56 :- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 अप्रेल 2006 द्वारा जारी की गई राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी नीति की कंडिका 5.b.v.8.b में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

5b.v.8.b Rebte shall be restricted to Rs. 25,000/- per job created in the unit.

or

The applicant companies proposing to have fixed capital investment (excluding working capital) of Rs. 10 crore and above will have the option of land at the rate of 25% of the prevalent premium, subject to availability of land and with the condition that the investment in fixed capital will be made within a period of three years. Land to such units will be allotted according to the table given below.

S.No.	Project Cost (Rs. in crores)	Land available at concessional rates
1.	10 to 20	Maximum 10 acres as per requirement
2.	20 to 50	Maximum 15 acres as per requirement
3.	50 to 100	Maximum 25 acres as per requirement
4.	More than 100	Case to case basis

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनुराग श्रीवास्तव)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सूचना प्रौद्योगिकी